अध्याय 7:

परिणामों का मूल्यांकन

7.1. लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

अविद्युतीकृत गांव के संबंध में आर.जी.जी.वी.वाई. के लक्ष्य व उपलब्धियों की 31 मार्च 2010 तक होना था (जब योजना को पूरा होना[93] था) बी.पी.एल. आवास ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण तथा 27 राज्यों जहां इस योजना को मार्च 2012 तक लागू होना था के संबंध में आर.जी.जी.वी.वीई. के लक्ष्यों की स्थिति निम्नलिखित है:

तालिका 26: घटकवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्रम सं.	विवरण	लक्ष्य	31 मार्च 2010 तक की उपलब्धियों	लक्ष्यों की प्रतिशतता के रूप में उपलब्धियां	31 मार्च 2012 तक की उपलब्धियां	लक्ष्यों की उपलब्धियां की प्रतिशतता
1.	नई परिभाषा के अनुसार गैर विद्युतीकृत गांव और बस्तियों का विद्युतीकरण	1,23,601	78,256	63.31	1,04,496	84.54
2.	गैरविद्युतीकृत परिवारों को विद्युत प्रदान कराना (बी.पी.एल. परिवार सहित)	4,12,88,438	1,12,97,770	27.36	2,15,04,430	52.08
3.	बी.पी.एल. परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना	2,30,10,265	1,00,97,026	43.88	1,90,80,115	82.92

आगे, 31 मार्च 2012 तक अविद्युतीकृत गांवों बी.पी.एल. आवासों, ग्रामीण आवासों में विद्युतीकरण विविधकरण के लक्ष्य के विपरीत उपलब्धता क्रमशः 85 *प्रतिशत,* 52 *प्रतिशत* एवं 83 *प्रतिशत* थी। 31

[93] योजना का लक्ष्य 2009 तक पूरा होना था। परन्तु आंकड़े 31 मार्च 2010 तक के लिए गए थे क्योंकि मार्च 2005 की मार्गदर्शिका के अनुसार योजना को पाँच वर्षों में क्रियान्वित किया जाना था।

मार्च 2012 को राज्यवार अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकृत लक्ष्यों व उपलब्धियों, ग्रामीण आवासीय विद्युतीकरण लक्ष्य व उपलब्धियां, और बी.पी.एल. आवासों का विद्युतीकरण लक्ष्य व उपलब्धियां क्रमशः अनुलग्नक 15, 16 और 17 में दशाई गई है।

आर.जी.जी.वी.वाई. आवासों एवं सभी गांवों या आवासों को विद्युतीकरण करने के अपने लक्ष्य को मार्च 2010 तक और 24 महीनों (मार्च 2012 तक) की देरी के बावजूद भी प्राप्त नहीं किया था।

इसके अलावा, आर.जी.जी.वी.वाई. के लक्ष्यों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना एवं गरीबी को, आई.टी., शिक्षा, स्वास्थय सेवा, शीत चेन गांव एवं खादी उद्योग लघु उद्योग, सिंचाई इत्यादि के माध्यम से खत्म करना था। विद्युत मंत्रालय ने अनिवार्यता का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया था। इस प्रकार, विद्युत मंत्रालय के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे मालूम किया जा सके क्या वास्तव में आर जी जी वाई कि परिणामी लाभ प्राप्त हुए हैं।

विद्युत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए बताया (अगस्त 2013) कि "उन्होंने आर.जी.जी. वी.वाई. के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी ठोस प्रयत्न किए थे। यद्यपि पी. आई.ए. द्वारा ठेके देने में देरी, पी.आई.ए. को राज्यों द्वारा बी.पी.एल. सूची देने में देरी, अपर्याप्त परियोजना प्रबंधन क्षमता इत्यादि के कारण उपलब्धि प्राप्त करने में बाधा आई।

बॉक्स 15: उत्तर प्रदेश – बी.पी.एल. कैनक्शनों को जारी न करना

186 गांवों में, सात परियोजनाओं (इलाहाबाद, बाराबंकी, इटावा, जालौन, कानपुर नगर, कौशाम्बी और ललितपुर) में बी.पी.एल. के 1141 कनेक्शन दिए जाने की योजना थी। इन गांवों में बिजली की आपूर्ति हेतु अवसंरचना के विकास पर ₹ 12.94 करोड़ की लागत के बावजूद जैसे इन गाँवों में बिजली की आपूर्ति हेतु लाईन और ट्रांसफार्मरों, के बावजूद, कोई बी.पी.एल. कनेक्शन नहीं दिया गया था (सितम्बर 2012)

7.2. ए.पी.एल. परिवारों को शामिल न करना

31 मार्च 2012 तक, देश में 5.46 करोड. ए.पी.एल. परिवारों के एवज में केवल 1.83 करोड़ ए.पी.एल. परिवार के विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य एवं मंजूर विस्तारण किया गया था।

- 31 मार्च 2012 तक केवल 24.24 लाख ए.पी.एल. परिवारों को बिजली प्रदान की गई थी। अतः केवल 4.43 *प्रतिशत* अविद्युतीकृत ए.पी.एल. आवासों को बिजली प्रदान की गई थी।
- जबकि 25 राज्यों में से 23 में, 10वीं योजना में ए पी एल आवासों के स्वीकृत लक्ष्यों के 50 *प्रतिशत* से भी कम बिजली प्रदान की गई थी। 11वीं योजना में 25 में से 24 राज्यों में, ए.पी.एल. के स्वीकृत क्षेत्र (लक्ष्यों) के 50 *प्रतिशत* से भी कम बिजली प्रदान की गई थी।
- दसवी योजना के दौरान, 15 राज्यों[94] में एक भी ए पी एल आवास को बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया था। इसी प्रकार, ग्याहरवी योजना के दौरान, 11 राज्यो[95] के किसी भी एपीएल आवास को बिजली प्रदान नहीं की गई थी।

[94] असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मणिपुर, मेधालाय, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

विद्युत मंत्रालय (अगस्त 2013) ने कहा कि ''ए.पी.एल. लाभ्यार्थियों को कनेक्शन देने से सम्बधित सूचना जिन्हे सामान्यता आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के पूरा होने के पश्चात् जारी किया जाता है, डिस्कोम ने आर.ई.सी. को नहीं भेजी और परिणामतः आर.जी.जी.वी.वाई. के एम आई एस में नहीं लिया गया। इसके अलावा ए.पी.एल. आवासों को कनेक्शन जारी करने के आंकड़े दर्शाये थे वे वास्तिवकता को नहीं दर्शाते क्योकि अधिकतर राज्यों ने सूचना नहीं भेजी थी''।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर संकेत करता है कि पी.आई.ए. और आर.ई.सी. के बीच समन्वय की कमी थी। यह भी दर्शाता है कि एम.आई.एस., आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत दर्शायी, ए.पी.एल. आवासों कवरेज के संदर्भ में सही स्थिति नहीं बताता है।

7.3. वितरण एवं उत्पादन विकेन्द्रिकरण परियोजनाओं का लागू न होना

मार्च 2005 में, आर.जी.जी.वाई. ने उन गांवों में जहाँ ग्रिड संबंधता या तो व्यहार्य नहीं थी या लागत प्रभावी नही थी और जहाँ अपरंपरागत ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), 25,000 गाँव का, सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम[96] के अंतर्गत अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोत से बिजली प्रदान नहीं की जानी थी, डी.डी.जी. परियोजनाओं को शुरू किया। डी.डी.जी. को पारंपरिक या नवीकरण या अपरम्परागत उर्जा स्रोत जैसे बायोमास, जैव ईधन, बायोगैस, लघुजल, भूतापीय, सौर इत्यादि, स्त्रोतों द्वारा लागू करना था। भारत सरकार से 90 *प्रतिशत* सहायता और 10 *प्रतिशत* ऋण वित्तीय संस्थानों से या राज्यों की अपनी निधि से या आर.ई.सी., से दी जानी थी। आर.जी.जी. वी.वाई. के अंतर्गत डी.डी.जी. परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय, आर.जी.जी.वी.वाई. की मॉनीटीरिंग कमेटी को किसी प्रकार की पुर्नवृत्ति से बचने के लिए एम.एन.आर.ई. से समन्वय की उम्मीद थी।

जबकि डी.डी.जी. मार्च 2005 में शुरू हुई, विद्युत मंत्रालय ने ग्यारहवीं योजनाओं के आर.जी.जी वी.आई. के चलते 2008 में इसी प्रकार की परियोजनाओं हेतु ₹ 540 करोड़ का प्रावधान किया था। यह प्रावाधान, डी डी जी परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू होने वाले संभावत परियोजनाओं की कुल संख्या बताए बिना ही किया था। गाँवों की स्पष्ट सूची/चयन जहां डी.डी.जी. परियोजनाएं होनी थी, वह भी उपलब्ध नही थी।

जबकि 18 मार्च 2005 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती मार्गदर्शिका में निहित था कि डी.डी.जी. परियोजनाओं को स्कीम की अधिसूचना की तिथि मार्च 2007 से दो वर्षों के भीतर कार्यान्वित की जाएगी, फिर भी पहली परियोजना केवल जुलाई 2010 में स्वीकृत हुई थी।

इसके अलावा, जनवरी 2008 में, डी.डी.जी. परियोजनाओं हेतु पूंजीगत सहायता के प्रावधान को अनुमोदित करते समय सी.सी.ई.ए. नोट में बताया गया स्कीम को स्वीकृति के एक महीने के अंदर तथा डी.डी.जी. परियोजना की मार्गदर्शिका जारी करनी थी और कार्यावन्वन को 2012 तक पूरा किया जाना था। फिर भी, विद्युत मंत्रालय ने डी.डी.जी. मार्गदर्शिका को जारी करने में एक वर्ष का समय लिया अर्थात् जनवरी 2009।

विद्युत मंत्रालय ने जवाब में बताया (फरवरी 2013) कि *''यह एक नई योजना थी जिसे उपयुक्त दिशा निर्देश की आवश्यकता थी। इसके लिए राज्यों के साथ परामर्श की आवश्यकता थी और परामर्शता के*

---

[95] असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, मेद्यालय, मिजोरम, ओडीसा, पंजाब और त्रिपुरा

[96] आदेश सं. 44/19/2004/डी (आर ई) दिनांक 18 मार्च 2005

बाद, अत्तः 12 जनवरी 2009 को दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया। आगे, यह भी बताया कि डी.डी.जी. *हेतु निधि जारी करने की आवश्यकता 2011–12 में पड़ी''। विद्युत मंत्रालय ने आगे बताया (अप्रैल 2013) कि 12 जनवरी 2009 में* डी.डी.जी. *की मार्गदर्शिका जारी की गई थी और संशोधित मार्गदर्शिका 5 जनवरी 2011, 17 मार्च 2011, तथा 18 मार्च 2011 में जारी की गई। इन मार्गदर्शिका में, कहीं भी* डी.डी.जी. *को दो वर्ष में पूरा होना था, उल्लेखित* नहीं *था। इसमें कहीं भी राज्यवार और लागत वार कोई विशिष्ट लक्ष्य भी नहीं थे।''*

विद्युत मंत्रालय ने डी.डी.जी. मार्गदर्शिका को बार–बार संशोधित किया जो बताता है कि एम.ओ.पी. खुद भी डी.डी.जी. परियोजनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं थी। आगे, सी.सी.ई.ए. के नोट में एम.ओ.पी. के अपने प्रस्तावो में इन परियोजनाओं को दो वर्षों में पूरा होना था।

इसे, इस तथ्य के साथ देखने की आवश्यकता है कि जबकि परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था परन्तु फरवरी 2013 तक कोई निधि वितरित नहीं की गई थी। 2011–12 से विद्युत मंत्रालय ने अपने लक्ष्य ''कार्यावन्यनित होनी वाली परियोजनाओं'' को ''संख्या से दी जाने वाली निधि की राशी'' में परिवर्त्ति कर दिया था। 2011–12 में, डी.डी.जी. परियोजनाओं को 150 करोड़ के स्वीकृत लक्ष्य के विपरीत ₹ 151.85 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया था। 2012–13 में, डी.डी.जी. के स्वीकृरण एवं वितरण हेतु लक्ष्य क्रमशः रू 300 करोड़ एवं रू 100 करोड़ थे। 2012–13 के लक्ष्यों के, विद्युत मंत्रालय ₹ 7.58 करोड़ की परियोजनाओं को ही स्वीकृत कर पाया था, परंतु फरवरी 2013 तक कोई निधि वितरित नहीं की गई थी।

31 मार्च 2012 को, आर.ई.सी. द्वारा उपलब्ध एम आई एस आंकड़ो से यह पता लगता है कि 2010 तक, डी.डी.जी. की 263 परियोजनाओं में संयुक्त राशि ₹ 264 करोड़ स्वीकृत की गई थी। जबकि डी.डी.जी. हेतु निधि को जारी करने की आवश्यकता 2011–12 में पड़ी थी, मामला विद्युत मंत्रालय (फरवरी 2013) में विचाराधीन था जोकि डी.डी.जी. परियोजनाओं के परिचालन में गंभीरता की आवश्यकता को दर्शाता है।

विद्युत मंत्रालय ने निर्गम संगोष्ठी (सितम्बर 2013) में बताया कि डी.डी.जी. परियोजना का विस्तार पहले से हुए विद्युतीकृत गांवो को सम्मिलित करने के लिए करा गया था बिजली आपूर्ति जहां बिजली आपूर्ति दिन में छः घंटों से कम थी। इसके अतिरिक्ति, गांव जहां ग्रिड संबंधता या तो व्यावहारिक नहीं थी या लागत प्रभावी नहीं थी। यह, डी.डी.जी. को अधिक व्यावहार्य बनाने के लिए परियोजना विकास कर्ताओं को, आंशिक विद्युतीकृत गांवों और अविद्युतीकृत गाँवों दोनों के सनिहित समूहों को सम्मिलित करने की अनुमति दी।

फिर भी तथ्य यही रहा कि डी.डी.जी. परियोजनाओं पर केन्द्रित अभिगम अनुपस्थिति/गायब थी और जो परियोजनाएं (अर्थात् 2007 तक) पूरी की जानी थी वह अभी (फरवरी 2013) तक शुरू भी नहीं हुई थी।

7.4. विद्युतिकृत गांवों की असक्रियता

योजना का वास्तविक लाभ ग्रामीण जनता को केवल तभी मिल सकता है जब उनके आवास में विद्युत प्रवाह और वास्तविक सक्रियता के लिए अवसंरचना का सृजन हो। 31 मार्च 2012 तक, अविद्युती/विद्युती गांवों के विद्युतीकरण हेतु संचित उपलब्धी 1,04,496 थी। जबकि, 31 मार्च 2012 तक, दसवी और ग्यारहवी योजना अवधि के दौरान, 1,04,496 गांवों में विद्युतकरण में से केवल 94,932 गांवों में ही वास्तव में बिजली चालू की गई थी। अतः दसवीं योजना के परियोजनाओं में शत *प्रतिशत*

सक्रियता प्राप्त नहीं की गई थी जबकि योजना की समाप्ति को पांच वर्ष बीत चुके थे। ग्यारहवीं योजना परियोजनाओं के मामले में, आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत 80 *प्रतिशत* गांव के विद्युतीकरण को योजना अवधि के अंत तक सक्रिय किया गया था।

यद्यपि, बुनियादी ढांचे को उन राज्यों में स्थापित किया गया था जो राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आरंभ होने पर विद्युतीकरण में पीछे रह गये थे, लेकिन ऊर्जीकरण की प्रगति की आवश्यकता थी। उदाहरणार्थ 11वीं योजना अवधि के दौरान अरूणाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गाँवों को केवल 26.96 *प्रतिशत* ऊर्जीकृत किया गया था तथा मिजोरम में विद्युतीकृत गाँवों को केवल 35.48 *प्रतिशत* ऊर्जीकृत किया गया।

आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं पर आर.ई.सी. की एम आई एस रिपोर्ट के अनुसार, 10वीं तथा 11वीं योजना के दौरान 398 तथा 277 उप–केन्द्रों मे से केवल क्रमशः 360 तथा 80 उप–केन्द्रों को ही चालू किया गया (मार्च 2012)।

विद्युत मंत्रालय ने वक्तव्य दिया (मई 2013) कि ऊर्जीकरण में अंतराल के मुख्य कारण 33/11 के.वी. उप–केन्द्रों की अपूर्णता, रास्ते के अधिकार की समस्या, रेलवे अनापत्ति प्राप्त करने में देरी आदि थे। विद्युत मंत्रालय ने आगे जवाब दिया (अगस्त 2013) कि *"एक गाँव की पूर्णता एवं उसके ऊर्जीकरण करने में 3 महीने को समय अंतराल है तथा 3 महीने के अंतराल के मद्देनजर 31 मार्च 2012 तक 9564 की बजाय 5985 गाँवों के ऊर्जीकरण का अंतर है।"*

विद्युत मंत्रालय का जबाब इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि 3 जून 2010 को हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पहले से पूर्ण गाँवों को जून 2010 तक और कार्य समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर ऊर्जीकृत किया जाना प्रस्तावित था। पूर्ण गाँवों को ऊर्जीकृत नहीं किये जाने के कारण अभीष्ठ लाभार्थियों को मिलने वाला विद्युतीकरण का वास्तविक लाभ विलम्बित हो जाता। आगे, ऐसे विलम्ब से नये स्थापित बुनियादी ढांचे की चोरी तथा गुणह्रास करे बढ़ावा मिल सकता है।

7.5. राजस्व स्थिरता

आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत पी.आई.ए. को विद्युतीकरण के मूलभूत ढाँचों के विकास हेतु निधि प्रदान की गई थी। आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत निर्मित इन मूलभूत ढाँचों को बनायें रखने के क्रम में एवं विद्युत आपूर्ति[97] की अबाधित गुणवत्ता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक था कि परियोजना लम्बे समय तक राजस्व रूप मे स्थिर हो। इसके स्थान पर राजस्व स्थिरता को सुनिश्चित करने के क्रम में यह महत्वपूर्ण होगा कि एक व्यवाहार्ययुक्त वाणिज्यिक प्रक्रिया हो जिससे विद्युत आपूर्ति किये जाने की कीमत वसूल की जाती एवं राजसहायता निर्गत की जाती। 18 मार्च 2005 एवं 6 अगस्त 2008 को एम.ओ.पी. के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों मे विशेष रूप से उल्लेखित था कि योजना के कार्यान्यवन के लिये राजस्व स्थिरता एवं फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति, की दो महत्वपूर्ण शर्ते थीं। एम.ओ.पी. ने इन मुद्दों को आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यान्वयन हेतु जारी दिशानिर्देशों को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ समाविष्ट करते हुए संज्ञान में लिया

- फ्रेंचाइजियों के लिये थोक आपूर्ति प्रशुल्क का इस प्रकार निर्धारण हो ताकि वाणिज्यिक व्यहवारता सुनिश्चित हो

[97] योजना के अन्तर्गत विकासित मूल ढाँचे के रखरखाव की लागत सम्मिलित

- राज्य सरकारों द्वारा इलेक्टिसिटी एक्ट, 2003 के अन्तर्गत एस.पी.यू. को आवश्यक सब्सिडी का प्रावधान।

फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा समझा गया था कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने चेतावनी दी (27 नवम्बर 2006) कि तय व्यवस्था को लाये बगैर योजना राज्य विद्युत बोर्डो (कार्यान्यवन एजेंसियाँ) को (आगे) अतिरिक्त वित्तीय अवसाद/संकट में धकेल देगी। वास्तव में एम.ओ.एफ. का मत था कि उस समय तक आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यान्यवयन के संदर्भ मे, राजस्व स्थिरता एवं उपयुक्त फ्रेंचाइजी (प्रणाली) के प्रमुख मुददे जो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य क्रम के मुख्य स्तंभ के रूप में तय किये गये थे, कही भी संज्ञान में नहीं लाये गये।

उर्पयुक्त दोनों शर्तों को 10वीं योजना (2002–2007) तथा 11वीं योजना (2007–2012) के कार्यान्यवन में उपयुक्त ढंग से संज्ञान में नहीं लाया गया।

एम.ओ.पी. ने जवाब दिया (अगस्त 2013) कि *"मंत्रालय ने प्रस्तावित किया है कि फ्रेंचाइजी के परिनियोजन की शर्त को आर.जी.जी.वी.वाई. की दसवीं एवं ग्यारहवी योजनाओं तथा (आर.जी.जी.वी.वाई. की बाद के प्लान) बारहवीं योजना में भी आवश्यक न बनाया जायें। इसे सी.सी.ई.ए. के द्वारा स्वराकृति भी दे दी गई है।"*

जवाब का इस तथ्य के सापेक्ष अवलोकन किया जाना आवश्यक है कि फ्रेंचाइजी का मुद्दा स्पष्ट रूप से विस्तृत विचार विमर्श के बाद इन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण के मुख्य स्तम्भ के रूप में शामिल किया गया था। फ्रेंचाईजियों द्वारा राजस्व स्थिरता, पारेषण एवं वितरण हानियों से कमी न कर पाने के लिए आंशिक रूप से पी.आई.ए. द्वारा आर.जी.जी.वी.वाई. के फ्रेचाईजियों से सबंन्धित दिशानिर्देशों पर (मार्च 2005) ध्यान दिया जाना और इन दिशानिर्देशों का आर.ई.सी./एम.ओ.पी. द्वारा राज्य से अनुपालन कराने की अक्षमता, कारण थे। वास्तविकता यह है कि राजस्व स्थिरता, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी और फ्रेंचाईजियों द्वारा वाणिज्यिक हानियों में कमी के पहलू लाभार्थियों को योजना का दार्धकालिक लाभ प्रदान करने एवं दूरगामी परिणामों की सफल उपलब्धि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

7.5.1. व्यवसाय योजना

आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत परियोजनाओं के निरूपण से संबंधित आर.ई.सी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों में व्यापारिक योजना[98] का प्रस्तुतीकरण जिसमें निवेश[99], परिचालन लागत[100] और इनपुट बल्क पावर की लागतों के फलस्वरूप अगले 15 वर्षो के लिये नगद बर्हिगभन का विवरण और उपभोक्ताओं को श्रेणीवार विद्युत बिक्री, राजस्व सब्सिडी एवं राजस्व से धन आवक का विवरण आवश्यक था।

इसमे चयनित 162 डी.पी.आर. में से 81 ऐसे मामले थें जिनमे व्यवसाय योजना अधूरी थीं/नहीं प्रस्तुत की गई थीं। उदाहरण के तौर पर, असम में, पी.आई.ए. द्वारा गोलपारा, बारपेटा, बोंगाईगाँव, मोरी गाँव तथा कार्बी एंगलोंग जिलों के संबंध में प्रस्तुत की गई व्यवसाय योजनाएँ, जो आर.जी.जी.वी.वाई.[101] के उद्देश्य तथा राष्ट्रीय विद्युत पोलिसी (एन.ई.पी.) के विपरीत बनाई गई थी। योजना का लक्ष्य बी.पी.एल.

[98] फॉरमेट एफ 4 (आर.ई.सी. प्रोजेक्ट फार्मूलेशन गाइडलाइन्स)
[99] आरंभिक पूंजी निवेश एवं भविष्य में नेटवर्क को विस्तार
[100] बिलिंग की लागत तथा राजस्व संग्रहण, ओ एण्ड एम खर्चे, ह्रास, इंश्योरेंस, ऋण किस्त ब्याज की अदायगी आदि
[101] आर.जी.जी.वी.वाई., परियोजना को दो साल के अन्दर पूरा करने का प्रबंध

घरों (1.30 लाख) तथा ग्रामीण आवासीय परिवार, बी.पी.एल. को छोड़कर (1.28 लाख), क्रमशः दो साल से 15 साल तथा पाँच साल से 15 साल की बीच की अवधि में विद्युतीकृत करने का था। आगे, 1.30 लाख बी.पी.एल. परिवारों को ₹ 2.75 प्रति इकाई की ऊर्जा दर से नियोजित विद्युत कनेक्शन के लिए व्यापार योजना में राजस्व पूर्वानुमान आधारित था, जबकि वास्तविक ऊर्जा दर केवल ₹ 2.50 प्रति इकाई था, जिससे संभावित राजस्व संग्रहण में कमी हो गई। अतः अधिक वास्तविक आधार पर एवं आर.जी.जी.वी.वाई. के समग्र लक्ष्यों के अनुसार व्यापार योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

7.5.2 राजस्व संग्रहण

महाराष्ट्र में, उपभोक्ताओं की पहचान में कमियाँ, प्रथम बिल को जारी करने में देरी, बिलों को जारी न करना इत्यादि मुद्दों का वर्णन नीचे दिया गया है। इस तरह की गलतियों से ₹ 2.98 करोड़ तक की कम वसूली हुई एवं ₹ 10.88 करोड़ राशि थी।

महाराष्ट्र में, ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं थी जिससे ठेकेदारों को प्रभावी भुगतान करने से पहले, लाभार्थियों को ठेकेदारों द्वारा दिये गये संयोजन तथा बिलिंग प्रयोजन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम से जोड़े गए संयोजनों में मेलमिलाप हो सके।

- चुनी गई दस परियोजनाओं में सात[102] में सितम्बर 2011 तक बाँटे गए ₹ 2.10 लाख बी.पी.एल संयोजनों में से ₹ 0.47 लाख बी.पी.एल उपभोक्ताओं को छः से 14 महीने बीत जाने के बाद भी प्रथम बिल जारी किया जाना शेष था।
- इसके अलावा, बिलिंग प्रकिया के लिये दो महीने की प्रारंभिक समयावधि को ध्यान में रखते हुए दस चयनित परियोजनाओं में, 5,930 बी.पी.एल. आवासीय परिवारों को प्रथम बिल जारी करने में एक वर्ष से ज्यादा की देरी हुई।
- अगस्त 2012 के अंत तक, 7623 बी.पी.एल. उपभोक्ताओं से जिनका बिलों का भुगतान न करने के कारण कनेक्शनस हमेशा के लिये काट दिये गये थे, से ₹ 1.67 करोड़ की राशि वसूल होनी थी। इसके अतिरिक्त, इन दस परियोजनाओं से 1.44 लाख उपभोक्ताओ से, ₹ 9.21 करोड़ की राशि वसूल होनी थी। इस तरह कुल राशि 10.88 करोड़ (₹ 9.21 करोड़ जमा ₹ 1.67 करोड़) के विरूद्ध, पी.आई.ए. के पास प्रतिभूति जमा राशि केवल ₹ 0.23 करोड़ थी, शेष ₹10.65 करोड़ की कमी रही।

7.5.3 राजस्व सब्सिडी का प्रावधान

आर.जी.जी.वी.वाई. के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशों में विद्युत एक्ट 2003 के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा एस.पी.यू को अपेक्षित राजस्व सब्सिडी के प्रावधान होने चाहिए थे।

"यदि राज्य सरकार को किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता श्रेणी के लिए राज्य विद्युत आयोग द्वारा धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ में सब्सिडी देना चाहती है तो वह धारा 108 में निहित प्रावधानों के बावजूद राज्य विद्युत आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से अग्रिम राशि का भुगतान इस सब्सिडी के दिए जाने से प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए करेगी।

[102] अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, नासिक, सांगली, सिंधुदुर्ग तथा थाणे–कल्याण

बशर्ते कि राज्य सरकार का इस प्रकार का कोई भी दिशा–निर्देश प्रभावी नहीं होगा यदि इस धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तथा राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ, आयोग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करने की प्रभावी होगा"।

यह प्रदत्त है कि अगर भुगतान इस अनुभाग में शामिल प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी दिशानिर्देश प्रभावी नहीं होगा और इस स्थिति में राज्य संघ द्वारा तय दरें संघ के द्वारा जारी होने के तिथि से मान्य होंगे।"

अतः, राज्य सरकारों को, बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिये कम किये गये प्रशुल्क से उत्पन्न होने वाले राजस्व के अनुमानित घाटे के संदर्भ में अग्रिम रूप से विद्युत वितरण लाइसेन्स धारकों[103] को क्षतिपूर्ति करनी थी जो संबंधित राज्यों में विद्युत वितरण के लिए जिम्मेदार थे। तथापि आवश्यक राजस्व सब्सिडी का कम किये गये बी.पी.एल. प्रशुल्क के कारण सात राज्यों में भुगतान नहीं किया गया था जैसे कि **असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल**। तीन उदाहरणों की चर्चा नीचे की गई है:

- **गुजरात** में, फरवरी 2009 से बी.पी.एल. उपभोक्ता के लिये प्रशुल्क, सामान्य प्रशुल्क से कम था, तथापि, राज्य सरकार ने कम किये गये बी.पी.एल. प्रशुल्कों के लिये एस.पी.यू. को मुआवजे का भुगतान सब्सिडी के रूप में नहीं किया था।
- **कर्नाटक** में, यद्यपि, दो डिस्कॉमो (2005–06 दौरान के बी ई एस सी ओ एम तथा 2008 से 2010 के दौरान सी.ई.एस.सी.ओ.) ने बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को 18 यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की थी, राज्य सरकार ने इस अवधि की राजस्व सब्सिडी का भुगतान डिस्कॉमों को नहीं किया था।
- **उत्तर प्रदेश** मे, राज्य सरकार द्वारा एस.पी.यू. को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति 2005–06 से 2010–11 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 1758.85 करोड़ कम की थी।

7.5.4 राज्यों में फ्रेंचाईजियों की नियुक्ति

फ्रेंचाईजियों[104] के परिनियोजन के माध्यम से राजस्व संपोषण को सुनिश्चित किया जाना था। फ्रेंचाइजी, गैर–सरकारी संस्थाये, उपयोगी संस्थाएं, सहकारी एवं पंचायती राज संस्थान हो सकते थे। सी.सी.ई.ए. को विद्युत मंत्रालय के नोट (फरवरी 2005) के अनुसार योजना के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिये फ्रेंचाईजियों के परिनियोजन के विस्तृत विवरण के संदर्भ में सब्सिडी देने से पहले राज्य सरकारों की पूर्व प्रतिबद्धता प्राप्त की जाये।

31 मार्च 2012 को आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट दर्शाती थी कि 37614 फ्रेंचाईजियों को 17 राज्यों में परिनियोजित किया गया था जिन्होंने 3,53,049 गाँवों में से 1,75,655 गाँवों को इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया। इसका अर्थ है कि इस परियोजना के अन्तर्गत तकरीवन आधे (49.75 प्रतिशत) गाँवों में ही फ्रेंचाईजियों को परिनियोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम तथा तमिलनाडू कुल दस राज्यों में किसी भी फ्रेंचाईजियों को नियुक्त नहीं किया गया था। फ्रेंचाईजियों का 76.88 प्रतिशत, 28,919

[103] डिस्कॉम/राज्य विद्युत बोर्ड

[104] जैसाकि एम.ओ.पी. द्वारा बताया गया (अगस्त 2013), 10वीं 11वीं और 12वीं योजना परियोजना के लिए फ्रेंचाइजिज के तैनाती की आवश्यक शर्त को शिथिल कर दिया गया था।

फ्रेंचाईजियों को केवल दो राज्यों[105] में परिनियोजित किया गया था। वास्तव में, कुछ राज्यों ने बहुत ही असंगत प्रक्रियाओं को अपनाया था। उदाहरणार्थ,

- आर.ई.सी. की दिशा–निर्देशों के अनुसार, फ्रेंचाईजियों के विकास पर फ्रेंचाईजियों को दस प्रतिशत से ज्यादा प्रतिफल (रिटर्न) नहीं देनी थी। **असम** में एस.पी.यू. द्वारा बल्क सप्लाई टैरिफ तय करते हुए 2 प्रतिशत टैरिफ जोकि एल टी लाइन की रखरखाव के लिये था को देने के बाद 15 प्रतिशत के प्रतिफल पर विचार किया गया। इस प्रकार, फ्रेंचाईजियों को अनुबद्ध दर से अधिक का प्रतिफल देते हुए अनुचित लाभ प्रदान किया गया।
- **हरियाणा** में, आर.ई.सी. के दिशा–निर्देशों के अनुसार न तो डिस्कॉम ने फ्रेंचाईजियों को नियुक्त किया न ही वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित रखने के लिये हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) से फ्रेंचाईजियों के बल्क सप्लाई टैरिफ निर्धारित किया। इसके स्थान पर डिस्कॉम ने मीटर रीडिंग, बिल वितरण तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित कार्य को गैर–सरकारी संगठन जैसे कि हरियाणा भूतपूर्व सैनिक लीग (एच.ई.सी.एल.) को आडटसोर्स कर दिया।
- **मध्य प्रदेश** में, एक डिस्कॉम (केन्द्रीय) ने आर.ई.सी. के दिशा–निर्देशों के अनुसार फ्रेंचाईजियों के विकास पर एक ग्राम सेवक योजना शुरू की जो फ्रेंचाईजी की परिभाषा के अन्दर नहीं आता। ग्राम सेवक योजना को 26 दिसम्बर 2011 से निरस्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दूसरे डिस्कॉम (पश्चिम) ने आर.जी.जी.वी.वाई. के निधि पोषित जिलों में ज्यादा फ्रेंचाईजियों के सहयोग लेने के लिये एक विस्तार कार्यक्रम प्रतिपादित किया। इसने बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये लेकिन मार्च 2011 तक केवल सात ग्राम पंचायतों में ही फ्रेंचाईजियों को नियुक्त किया और उसके बाद किसी भी अन्य फ्रेंचाईजियों को नियुक्त नहीं किया गया।
- **मेघालय** में, सात परियोजनाओं में से अगस्त 2012 एक केवल जैनतिया हिल्स में ही फ्रेंचाईजियों को नियुक्त किया गया था। जैनतिया हिल्स परियोजना के मामले में, मार्च 2010 से अगस्त 2012 के बीच, 50 समूहों में से 13 समूहों में ही फ्रेंचाईजियों को मासिक मीटर रीडिंग तथा उपभोक्ताओ से राजस्व संग्रहण के लिये लगाया गया तथापि, अगस्त 2012 तक 13 फ्रेंचाईजियों में से सात के संविदा समाप्त हो गये, दो के संविदा निरस्त हो गये तथा एक फ्रेंचाईजी का संविदा (अगस्त 2012) अपद्स्थ हो गया।
- **त्रिपुरा** में, आर.ई.सी., त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड (टी.एस.ई.एल.) तथा राज्य सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय करार दिनाँक 31 अक्तूबर 2005 के अनुसार राज्य सरकार एवं टी.एस.ई.एल. को जारी किये दिशा–निर्देशों के अनुसार, विद्युतीकृत गाँवों में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिये फ्रेंचाईजियों को प्रतिनियुक्त करने थे। तथापि, फ्रेंचाईजियों को आर.जी.जी.वी. वाई. दिशा– निर्देशों के अनुसार प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। उनके कार्यो को मीटर रीडिंग तथा ऊर्जा बिलों को सौंपने तक ही सीमित रखा गया था। राजस्व संग्रहण को फ्रेंचाईजियों के दायित्वों तथा भूमिका में सम्मिलित नहीं किया गया था। यद्यपि, 739 आर.जी.जी.वी.वाई. गाँवों में से 530 में 69 फ्रेंचाईजियों का संचालन किया गया, वे आर.ई.सी. द्वारा विधित किसी भी मानकों के अनुरूप नहीं थे।
- **महाराष्ट्र** में, फ्रेंचाईजियों को नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि इसे वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा गया था।

[105] गुजरात और कर्नाटक

- **उत्तराखंड** में, 12 फ्रेंचाईजियों में से केवल चार ने ही एक वर्ष का आंरभिक संविदा समय कार्य किया था तथा बाकी ने सात से आठ महीनों के अन्दर ही कार्य छोड़ दिया। आर.ई.सी. से फ्रेंचाईजियों को फिर से नियुक्त करने के लिये बार–बार पत्राचार के बावजूद डिस्कॉम (डी.आई.एस.ओ.एम.) ने उपरिलिखित उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिये दूसरे फ्रेंचाईजियों को पुनः नियुक्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया।

विद्युत मंत्रालय ने अपने उत्तर में ऊपर दिये गये तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2013) कर लिया तथा कहा कि *"10वीं तथा 11वीं योजना के अर्न्तगत, ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिये फ्रेंचाईजियों की प्रतिनियुक्ति पर विचार करते हुये राजस्व स्थिरता को सुनिश्चित किया गया था। तथापि, यह निष्फल हो गया क्योंकि राज्यों द्वारा बहुत प्रयत्न करने तथा विद्युत मंत्रालय और आर.ई.सी. द्वारा दिये गये समर्थन के बावजूद भी फ्रेंचाईजियों को प्रतिनियुक्ति करने में योग्य नहीं थे। यह सब ग्रामीण, निम्न भार घनत्व, घरेलू उपभोक्ताओं के साथ रियायती प्रशुल्क, बिजली आपूर्ति की सीमित उपलब्धता, सुनिश्चित अवधि में निम्न राजस्व आधार के कारणों से हुआ। कई राज्यों मे, वे गाँव जो आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत आते हैं, कुल इक्ट्ठा होने वाला राजस्व भी निम्न था क्योंकि ज्यादातर बिजली उन बी.पी.एल. घरों में दी गई जिनके लिये विद्युतीय प्रशुल्क बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त या बिल्कुल निःशुल्क होती है। राजस्व से इक्ट्ठा होने वाला सुनिश्चित रकम फ्रेंचाईजियों के निम्नमात्र खर्चो को पूरा करने एवं उन्हें वित्तीय अयोग्य बनाने में पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, ओड़ीसा जैसे राज्यों में वितरण व्यापार पहले से ही निजी है।"*

जैसा कि ऊपर के पैरा 7.5 में कहा गया था राजस्व स्थिरता तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विद्युत मंत्रालय के लिये लगातार चुनौती रहेंगी क्योंकि इसके बिना, योजना के मुख्य लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होंगे।

7.5.5 फ्रेंचाईजियों का निश्पादन

फ्रेंचाईजियों के विकास के लिये आर.ई.सी. ने अपने दिशा–निर्देश (मई 2006) में, फ्रेंचाईजियों के प्रतिनियुक्ति के लिये छः नमूने उल्लिखित किये हैं।

- नमूना – क : राजस्व फ्रेंचाईजी –संग्रहण आधार पर
- नमूना – ख : राजस्व फ्रेंचाईजी – इनपुट आधार पर
- नमूना – ग : इनपुट आधारित फ्रेंचाईजी
- नमूना – ध : प्रकिया एवं रखरखाव फ्रेंचाईजी
- नमूना – ड़ : ग्रामीण विधुत सहकारी समितियाँ
- नमूना – च : विधुत सहकारी समिति–प्रक्रिया प्रबंधन

वित्त मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2006) कि केवल फ्रेंचाईजियों की नियुक्ति ही काफी नहीं थी जैसाकि वितरण प्रबंधन की व्यवहार्यता के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपयोगियों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराना एवं ए.टी. एवं सी नुकसानों के माध्यम से वसूली करना और वितरण प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने एवं इसे अधिक व्यवहार्य बनाने हेतु फ्रेंचाईज़ियों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन ढाँचा बनाना।

आर.ई.सी. द्वारा फ्रेंचाईजियों के विकास के लिये जारी किये गए दिशा–निर्देशों के अनुसार नमूना क को अपनाने के लिये वरीयता नहीं दी गई चूंकि इसकी क्षतिपूर्ति को राजस्व संग्रहण से जोड़ा गया था न कि उस क्षेत्र में आने वाले विद्युत इनपुट से। इसके अतिरिक्त आर.ई.सी. ने 11वीं योजना में आर.जी.जी. वी.वाई. को बनाए रखने के लिये (फरवरी 2008) में विशिष्ट निर्देश जारी किये जिसमें फ्रेंचाईजियों को इनपुट आधार को वरीयता देनी चाहिये ताकि औसत तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसानों को कम करके राजस्व प्रणाली को कायम रखा जा सके। 17 राज्यों में से जिन्होंने फ्रेंचाईजियों को नियोजित किया था, 15 ने राजस्व फ्रेंचाईजी संग्रहण आधार पर, जैसा कि नमूना। में बताया है को अपनाया था। इसका प्रभाव **गुजरात** में देखा जा सकता है जहाँ पर केवल राजस्व संग्रहण आधार पर फ्रेंचाईजियों को नियुक्त किया गया था। 31 मार्च 2012 को, डिस्कॉम[106] के संबंधित परिमंडल में प्रसारण एवं वितरण नुकसान 13 प्रतिशत (4.95 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष) से 66 प्रतिशत के बीच था।

कर्नाटक में, 2007–2008 से 20011–12 के दौरान एलटी लगाने के लिए राजस्व संग्रह की क्षमता में भिन्नता पाई। रायचुर में छः[107] परियोजना क्षेत्रों में संग्रह क्षमता 10 प्रतिशत से भी कम थी जबकि अन्य परियोजना क्षेत्रों में यह 24 से 67 प्रतिशत की श्रृंखला में आती है, उत्तर कन्नड़ा के अलावा जहाँ यह प्रतिशत्ता 82 प्रतिशत थी।

उत्तराखण्ड में, 31 मार्च 2012 तक, चार चुने गए जिलों में बी.पी.एल. ग्राहकों से ₹ 8.48 करोड़ की वसूली की जानी थी।

फ्रेंचाईजिज के निष्पादन का राज्य विशिष्ट विवरण **अनुलग्नक 18** में दिया गया है।

दिनाँक 23 फरवरी 2007 को एम.ओ.पी. ने टिप्पणी में कहा कि *'वित्त मंत्रालय द्वारा उठाये गए राजस्व स्थिरता पर, जैसाकि विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिनिर्गित फ्रेंचाईजिज की प्रणाली के मूल्यांकन अध्ययन में प्रतिवेदित किया और ऊर्जा व संसाधन टी.ई.आर.आई. व एकीकृत शोध व विकास के लिए कार्यवाही संचालित है के परिणाम काफी प्रभावी है।'* फ्रेंचाईजिज के अंतर्गत गाँवों में, राजस्व संग्रह नाटकीय रूप से बढ़ा है।

एम.ओ.एफ. ने फ्रेंचाईजिज की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन करने के लिए करार मूल्यांकन करने का सुझाव दिया। एम.ओ.पी. ने तथापि छः राज्यों में टी.ई.आर.आई व आई.आर.ए.ई.ई. द्वारा किया गया एक सीमित अध्ययन ही प्राप्त किया और इस अध्ययन पर पूर्ण रिपोर्ट उपलबध नहीं की गई। रिपोर्ट का केवल एक सारांश प्रस्तुत किया गया। यह दिखाने के लिए कोई भी तथ्य नहीं था कि अध्ययन द्वारा सुझाए गए संशोधनों को क्रियान्वित किया गया है।

7.5.6 फ्रेंचाइजिज को परिनियोजित करने के विशय में प्रतिबंध को हल्का करना

10वीं योजना में आर.जी.जी.वी.वाई. के प्रारम्भिक कार्यान्वयन के दौरान आर.ई.सी. को मार्च 2005 के योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार फ्रेंचाइजिज के नियुक्ति के विषयाधीन निधियों का निर्गम करना था। जैसाकि सी.सी.ई.ए. नोट (13 नवम्बर 2004) और सी.ओ.एस. नोट (24 दिसम्बर 2004) में बताया गया था कि फ्रेंचाइजिज सिस्टम को सशर्त बनाने का तर्काधार ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में सत्तता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना था।

---

[106] भावनगर, महसाना, पाटन, पंचमहल, पोरबंदर, सूरत एवं सुरेन्द्र नगर

[107] बेलगाँव, बीजापुर, गड़ग, कोलार, रायचुर, और उत्तर कन्नड़

तथापि, जून 2007 में, सचिव, एम.ओ.पी. की अध्यक्षता में एम.सी. द्वारा निर्णय किया गया कि 10 *प्रतिशत* राजसहायता राज्य द्वारा शर्तों के आधार पर निर्गमित की जाएगी। प्रभावी तौर पर राजसहायता को 90 *प्रतिशत* बिना यह सुनिश्चित किए हुए दे दिया कि राजस्व स्थिरता के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं, बावजूद इसके कि फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित नोट की अनिवार्य शर्तों में एक है।

संयोग से, एम.ओ.पी./आर.ई.सी. दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार उस मौके पर जबकि परियोजनाओं को संतोषप्रद रूप से शर्तों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया, कि राजसहायता को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

परियोजनाओं के कुछ उदाहरण खुले रखे गए जहाँ समापन प्रतिवेदन इस आधार पर मान्य नहीं किया था क्योंकि डिस्कॉम के पूँजी राजसहायता को ब्याज वाले ऋण के परिवर्तन के खतरे का सहना पड़ेगा जोकि इन निकायों की वित्तीय हानि के रूप में देखी गई थी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में, डिस्कॉम पूँजी राजसहायता की क्षति को ₹ 158.20 करोड़ थी। यद्यपि आर.ई.सी. विभिन्न राज्यों ने फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति हेतु लिख रहा था। जबकि आर.ई.सी. पूँजी राजसहायता को ब्याज वाले ऋण के रूप में परिवर्तित नहीं कर रहे थे। परिणामतः, पी.ई.ए. द्वारा इस शर्त की अवहेलना हो रही है। उदाहरण के रूप में, मार्च 2011 में रखी गयी एम.सी. की 40वीं बैठक में यह निर्णय किया गया कि 10वीं योजना में परियोजनाओं के लिए अगले तीन महीनों में फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति के लिए एक निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) जारी होनी चाहिए और फ्रेंचाइजियों की अगले छः महीनों में नियुक्ति की जानी चाहिए। तदनुसार राज्यों को सूचित किया गया कि ये समय सारणी में उपार्जित नहीं की गई और न ही परियोजनाओं का समापन किया गया, आर.जी.जी.वी.वाई के अंतर्गत राज्यों को दिए गए अनुदान को ब्याज धारक ऋण के रूप में परिवर्तित करना होगा। राज्य के द्वारा इन निर्देशों का अनुसरण करने के लिए सार्थक कदम न उठाए जाने के बावजूद आर.ई.सी. ने इसके विरूद्ध कार्रवाई नहीं की। (मई 2013)

एम.ओ.पी. ने (मई 2013) में, अपने जवाब में कहा कि *"एम.सी. ने व्यावहारिक कठिनाइयों, क्षेत्रीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया कि परियोजनाओं में निधियों की निर्मुक्ति न होने समेत, विभिन्न कारणों से विलम्ब हो रहा था। समिति ने फ्रेंचाइजियों की तैनाती की नियुक्ति की शर्तों में ढील नहीं दी। समिति ने कार्यक्रम के सहज कार्यान्वयन के लिए फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति पर जोर डाले बिना आर.ई.सी. दूसरी व तीसरी किस्त जारी करने की अनुमति दे दी"।*

एम.ओ.पी. का जवाब केवल उस तथ्य पर बल देता है कि निधियों को मुक्त करने की सन्ता फ्रेंचाइजिज की नियुक्ति की पूर्व शर्त में ढील देने से और परियोजनाओं की असमाप्ति पर दंड न देने के कारण मंद पड़ी।

7.6 लाभार्थी सर्वेक्षण

सुधार स्तर पर जागरूकता का मूल्यांकन व लाभार्थियों के प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने हेतु नमूना जाँच जिलों में से चुने गए लाभार्थियों से प्रश्नावली का जवाब देने हेतु प्रार्थना की गई थी। लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए नमूने चुने गए गाँवों के प्रत्येक नमूना परियोजना से लिये गये थे। सर्वेक्षण के लिए एक व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक गाँव से कम से कम पाँच परिवारों को चुना गया। लाभार्थियों से स्थानीय भाषा में एक संरचनाबद्ध प्रश्नावली के द्वारा साक्षात्कार किया गया। 27 राज्यों के 2,148 गाँवों से कुल 10,460 लाभार्थियों से कुल नमूने बनाए गए। प्रत्येक राज्य के लिए नमूना माप अलग–अलग था तथा यह उस राज्य में नमूना जाँच के लिए चयनित परियोजनाओं की संख्या पर

आधारित था। सर्वेक्षण भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग (आई.ए.एण्ड ए.डी.) के लेखापरीक्षा दल द्वारा कराया गया जोकि आर.जी.जी.वी.वाई की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए परिनियोजित किया गया था।

सर्वेक्षण प्रश्नावली में निम्नलिखित विवरणों के लिए निवेदन किया गया।

(i) क्या कनेक्शन डिस्कॉम द्वारा लगाया गया या लाभार्थियों के निवेदन पर दिया गया;
(ii) कनेक्शन लगाने की तिथि;
(iii) कनेक्शन में ऊर्जा उत्पन्न करने की तिथि;
(iv) सी.एफ.एल. को निःशुल्क लगाने का प्रावधान;
(v) विद्युत की आपूर्ति 6–8 घण्टे प्रतिदिन
(vi) मीटर का प्रावधान;
(vii) योजना के बारे में जागरूकता;
(viii) बिल तथा अदायगी;
(ix) पम्प सैट आदि के लिए विद्युत का इस्तेमाल;
(x) योजना का प्रभाव और
(xi) आर.जी.जी.वी.वाई के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतें।

लाभार्थी सर्वेक्षण के नतीजे निम्नलिखित हैं:

1. **जागरूकता**– आर.जी.जी.वी.वाई का मुख्य उद्देश्य बी.पी.एल धारकों को मुफ्त में एक फेस का विद्युत कनेक्शन दिलवाना था। इस प्रकार योजना और उसके मुख्य प्रावधानों की जानकारी के बारे में बी.पी.एल. धारकों को जागरूक करना, सफल कार्यान्वयन योजना की एक निश्चित जरूरत थी।

   बी.पी.एल. लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुल नमूनों में से 8,061 लाभार्थी (77 *प्रतिशत*) आर.जी.जी.वी.वाई, व उसके लक्ष्य या लाभ के बारे में जानते ही नहीं थे। हालाँकि टर्नकी ठेकेदारों ने कनेक्शन जारी करने से पहले, सर्वेक्षण किए थे परन्तु जागरूकता के अभाव में गरीबी रेखा से नीचे के आवासीय परिवारों के छूट जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

   7,565 (72 *प्रतिशत*) लाभार्थियों ने कहा कि किसी भी जागरूक कार्यक्रम का संचालन नहीं किया गया।

2. **कनेक्शन का प्रावधान**–जबकि 5,964 (57 *प्रतिशत*) लाभार्थियों ने कहा कि कनेक्शन स्वयं डिस्कॉम द्वारा दिया गया, 3,975 लाभार्थियों (38 *प्रतिशत*) ने कहा कि कनेक्शन उनके निवेदन पर दिया गया था, यानि कि लाभार्थियों के अनुरोध पर और 521 (5 *प्रतिशत*) लाभार्थी कनेक्शनों को प्राप्त करने के माध्यम के बारे में जागरूक नहीं थे।

3. **सी.एफ.एल. का प्रावधान**–यद्यपि इसके अंतर्गत बी.पी.एस. कार्ड धारकों को कनेक्शन के साथ मुफ्त सी.एफ.एल देने का प्रावधान था, केवल 5,253 लाभार्थियों (50 *प्रतिशत*) को मुफ्त सी.एफ.एल दिया गया, 4,678 लाभार्थियों (45 *प्रतिशत*) ने कहा कि कनेक्शन के साथ कोई भी सी.एफ.एल. नहीं दिया और बाकी लाभार्थी सी.एफ.एल. देने के प्रावधान के बारे में विश्वस्त ही नहीं थे।

4. **मीटर लगाना**—राजस्व स्थायित्व के लिए सभी कनेक्शनों के मीटर व बिल तैयार करने के काम को करना जरूरी था। 9,661 लाभार्थियों (92 *प्रतिशत*) ने कहा कि उनके कनेक्शन के साथ मीटर लग गया था, जबकि 343 लाभार्थियों (3 *प्रतिशत*) ने कहा कि कनेक्शन के साथ मीटर नहीं दिये गये थे। बाकी के लाभार्थियों को यह सुनिश्चित ही नहीं था, 3,305 (32 *प्रतिशत*) लाभार्थियों ने कहा कि उनको बिल नियमित नहीं मिल रहे थे।

बॉक्स 16: कनेक्शन के साथ मीटर उपलब्ध नहीं कराये जाने के मामले

कनेक्शन लागत में मीटर की लागत शामिल थी। जिसके अनुसार, ठेकेदारों को कनेक्शन के विशेष नियमों के अनुसार मीटर फिट करना था। तथापि, बी.पी.एल. परिवारों के लाभार्थी सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह पहलू कुछ मामलों में लागू नहीं हो पाया जो कि नीचे दिए गए हैं:

- **अरूणाचल प्रदेश** के **पापुमपरे** परियोजना में, 50 बी.पी.एल. परिवारों में से 37 परिवारों ने कहा कि मीटर नहीं लगाये गए और तारे भी पूर्णरूप से नहीं बिछाई गई।
- **नागालैण्ड** में, सर्वेक्षण किए गए 115 बी.पी.एल. परिवारों में से केवल 85 परिवारों को (74 *प्रतिशत*) मीटर बक्सा दिया गया।
- **सिक्किम** में, गंगटोक ब्लॉक के चिसोपानी गाँव के सर्वेक्षण में सभी पाँच लाभार्थियों को और गीजिंग ब्लॉक के उमचुँग गाँव के पाँच में से चार लाभार्थियों को काई मीटर नहीं मिला।

आगे, पहला बिल कनेक्शन जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर जारी होना था। यद्यपि राजस्थान में 518 लाभार्थियों में से 54 ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि डिस्कॉम द्वारा बिल जारी नहीं किये गये थे।

5. **विद्युत आपूर्ति**—8,024 लाभार्थियों (77 *प्रतिशत*) ने कहा कि उन्हें 6 से 8 घण्टे प्रतिदिन की दर से अधिक आपूर्ति मिल रही थी। जबकि 1,605 लाभार्थियों (15 *प्रतिशत*) ने कहा कि उन्हें प्रति 6 घण्टे से भी कम की आपूर्ति मिल रही थी और कहा कि विद्युत आपूर्ति का समय उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं था।

सिफारिश

आर 7: एम.ओ.पी. वर्तमान प्रणाली की गहन समीक्षा करे एवं गुणवत्ता की प्राप्ति एवं ऊर्जा की आपूर्ति में विश्वसनीयता एवं राजस्व की प्राप्ति को विशेष रूप से लक्षित कर हुए उन राज्यों पर विशेष बल देते हुए अतिरिक्त बचावों की स्थापना करे जहाँ लक्ष्य प्राप्त किये जाने बाकी थे।